रा.मं.ग्वा./खरगोन/भू.रा./2017/4400

पुनरीक्षण याचिका क्र. :
प्रस्तुति दिनांक :

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प इन्दौर (म.प्र.)

(51)

श्री ______ द्वारा आज दि. 14/11/17 को प्रस्तुत
14/11/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
6-12-17

लखन पिता हीरालाल, जाति गुर्जर,
निवासी – ग्राम कालधा, तह. भीकनगांव,
जिला खरगोन (म.प्र.) —— याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1– त्रिलोक पिता नत्थु, जाति गुर्जर
निवासी ग्राम बडुद, तह. सनावद,
जिला खरगोन (म.प्र.)

2– हीरालाल पिता मांगीलाल, जाति गुर्जर

3– भैय्यालाल पिता मांगीलाल, जाति गुर्जर
निवासी चिचगोहन, भेरूखेडा,
तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.) —— प्रत्यर्थीगण

14/11/17

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के तहत

याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निवेदन है कि –

1– यह कि, सदर पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग (राजस्व) के अपील प्रकरण क्र. 365/अपील/2014–15/खरगोन के दण्डादेश दिनांक 19.09.2017 एवं अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव के अपील प्रकरण क्र. 32/अपील/2012–13 में दिनांक 16.04.2013 में पारित किया गया एकपक्षीय आदेश से व्यक्ति होकर प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भूरा/17/4400

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-8-18	प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भूरा/17/4627 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-9-17 के विरूद्ध दो निगरानी प्रस्तुत की जाकर एक निगरानी कैम्प इंदौर में व एक निगरानी मुख्यालय ग्वालियर में प्रचलित है । अत: बाद में प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भूरा/17/4400 समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	